



UPSI 120001982009

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)UP3785

फौजदारी वाद संख्या-2408/ 2009

उ०प्र० राज्य बनाम इस्माइल आदि।

अपराध संख्या-439/ 2009

धारा-324,भा०दं०सं०

थाना- सकरन, जनपद-सीतापुर।

आरोप

मैं सुभाष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ- सीतापुर आप अभियुक्तगण इस्माइल, मोहम्मद समीम उर्फ समी, व स्वालिहा खातून को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूँ-

1- यह कि घटना दिनांक 28.08.2009 को, समय करीब 11.00 बजे रात, बहद स्थान ग्राम महाराज नगर, थाना सकरन, जिला सीतापुर में आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा रजनी देवी के पति अशोक कुमार को खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित की है, जो कि ऐसा कृत्य है जो कि भा०दं०सं० की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

और एतद्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण उक्त आरोपों में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 15.04.2024

(सुभाष)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ, सीतापुर।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 15.04.2024

(सुभाष)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -